न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
14 / 2025	30.01.2025	18-8-25

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1–द्वारका बाई उर्फ आचुकी पुत्री स्व० श्री मथुरालाल जी, पत्नी श्री किशन चन्द जी जाति ब्राहमण निवासी राजपूतों का मोहल्ला कोटा खुर्द, देई खेडा जिला बून्दी

2–रामजानकी पुत्री स्व० श्री मथुरालाल जी. पत्नी श्री आनन्दीलाल जी जाति ब्राहमण निवासी कच्ची बस्ती संतोषी नगर कोटा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1–महावीर प्रसाद आत्मज स्व० मोहन लाल
2–मांगी बाई पुत्री स्व० मोहन लाल
3–रानी कुमारी पुत्री स्व० मोहन लाल
4–रीना कुमारी पुत्री स्व० मोहन लाल
5–सीमा कुमारी पुत्री स्व० मोहन लाल जाति ब्राहमण निवासीगण मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6–पुष्पा बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी स्व० भेरूलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
6/1–जगदीश पुत्र भेरूलाल
6/2–रमेश पुत्र भेरूलाल
जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी
6/3–ओमप्रकाश पुत्र भेरूलाल जाति ब्राहमण निवासी तेजाजी के मन्दिर के पास प्रेरम नगर कोटा
6/4–मन्जू पुत्री भेरूलाल, पत्नी मोरध्वज जाति ब्राहमण निवासी कोट खुर्द जिला बून्दी
6/5–सावित्री पुत्री भेरूलाल पत्नी रोडूलाल जाति ब्राहमण निवासी देवली का थाना बूंदी
6/6–सीमा पुत्री भेरूलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी
6/7–राजेश पुत्री भेरूलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान–
6/7/1– लोकेश माता राजेश
6/7/2–लक्की माता राजेश
6/7/1–ज्योति माता राजेश
जाति ब्राहमण निवासीगण अरन्ड खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

7- दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से - श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से- श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट
बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

-:: निर्णय ::-

प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :

1- यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है।

2- यह कि ग्राम नोहती पटवार हल्का पोलाईकला तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता न0 119 नया 124 पुराना पर निम्न खसरा नम्बरान की 2 किता की 5-04 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 पेश है।

खसरा नम्बर 29 की 0-84 हेक्टर,
खसरा नम्बर 36 की 4-20 हेक्टर,
कुल 2 किता की 5-04 हेक्टर भूमि

3- यह कि उपरोक्त भूमिया वर्तमान में प्रतिपक्षी न० 1 ता 5 के शामलाती में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिपक्षी न० 1 ता 5 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज है। जो गलत है।

4- यह कि पूर्व में उक्त भूमि प्राथर्थीगण व मोहनलाल तथा प्रतिपक्षी न0 6 पुष्पा के पिता मथुरालाल आत्मज पाचू जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी मथुरालाल जी की मृत्यु हो जाने के बाद इंतकाल नं0 196 से उक्त भूमि फोती इतकाल के तहत प्रतिपक्षी न0 1 ता 5 के पिता मोहनलाल व माता चाहन्या बाई के नाम सहवन से दर्ज हो गयी जबकि मथुरालाल जी के परिवार का इतकाल में शजरा दिखाया हुआ है उसमें प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं० 6 का नाम अंकित किया गया है इसके बावजूद भी प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न0 6 के नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया। इस प्रकार उक्त इंतकाल स्वत: ही अवैध व गलत है।

5- यह कि चाहन्या की मृत्यु के बाद उसका नाम डिलीट कर उक्त भूमि मोहनलाल के नाम दर्ज रही और मोहनलाल की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी नं० 1 ता 5 के नाम दर्ज हो गयी। जब कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं० 6 भी मथुरालाल जी की पुत्रीया है व वारिस है तथा प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न० 6 पुत्रियों का नाम दर्ज होने से रह गया। इस कारण प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न० 6 का भी प्रतिपक्षी नं0 1 ता 5 के साथ बराबर बराबर आधी 1/4 1/4 हिस्सा बनता है। जिसकी प्रार्थीगण खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। साथ ही साथ अपने 1/2 हिस्से की भूमि का विभाजन करा कर अपने अलग खाते दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

6— यह कि उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है और प्रार्थीगण का भी प्रतिपक्षीगण के साथ समान हिस्सा है। उपरोक्त भूमि प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 5 के नाम दर्ज होने के कारण रहन बेचान करने पर आमादा है। इस पर प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को उक्त भूमि बेचान नहीं करने व प्रार्थीगण का नाम उनके साथ दर्ज कराने व विभाजन कराने को दिनांक 24-1-2025 को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 ता 5 ने नाम दर्ज कराने व विभाजन कराने से इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि वे उपरोक्त भूमि को रहन बेचान कर देगें जब कि प्रतिपक्षीगण को उक्त कृत्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

7— यह कि यदि प्रतिपक्षीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमि को रहन बेचान, अन्तरण, हस्तान्तरण कर दिया गया व प्रार्थीगण को पुश्तेनी भूमि से महरूम कर दिया गया तो इससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेंगी।

8— यह कि प्रार्थीगण का केस प्राइमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण उपरोक्त ग्राम नोहती तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 29 की 0—84 हेक्टर, खसरा नम्बर 36 की 4—20 हेक्टर, कुल 2 किता की 5—04 हेक्टर भूमि को रहन बेचान, अन्तरण व खुर्द बुर्द नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे और ना ही अपने एजेन्ट से ही करवाये। रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

प्रार्थीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये है —

1— नकल जमाबन्दी ग्राम नोहती सम्वत 2073—2076, खाता सं0 119

2— नकल जमाबन्दी ग्राम नोहती सम्वत 2053—2056,

3— नकल जमाबंदी ग्राम नोहती संवत 2065—68

4— नकल जमाबंदी ग्राम नोहती संवत 2061—64

5— नकल जमाबंदी ग्राम नोहती संवत 2057—60

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिपक्षीगा 6/1 ता 6/6 के अधिवक्ता द्वारा जवाब बंद करने हेतु निवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर जवाब बंद किया गया। प्रतिपक्षीगण 6/7/1 ता 6/7/3 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि:—

उपखण्ड अधिकारी

1– यह कि ग्राम नोहती तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न० 29 रकबा 0.84 है० खसरा न0 36 रकबा 4.20 है। कुल 2 किता रकबा 5.04 है० भूमी स्थित है जो प्रतिपक्षी न0 1 लगायत 5 के खाते दर्ज है। जिस पर प्रतिपक्षी न० 1 लगायत 5 काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

2– यह कि उक्त आराजी प्रतिपक्षी न० 1 लगायत 5 के पिता मोहनलाल जी की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है। जिस पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न० 6 के वारिसानो का कोई हक अधिकार नही है। चूंकि उक्त आराजी इन्तकाल न० 196 दिनांक 15/06/2000 सें प्रार्थीगण प्रतिपक्षी न० 6 के द्वारा अपनी स्वैच्दा से नाम हटवा लिया है। इस कारण प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न० 6 की मां के साथ भाई मोहनलाल जी का नाम दर्ज हुआ है जो सही दर्ज हुआ है तथा प्रतिपक्षी न० 1 लगायत 5 आज भी काबिज काश्त करते वले आ रहे है।

3– यह कि उक्त आराजी पर प्रार्थीगण न तो खातेदार है। नही सह खातेदार है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय मे गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरर्थक व निराधार होने से खारीज होने योग्य है।

4– यह कि प्राथीगण द्वारा इन्तकाल न० 196 को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय मे अपील या चेलेन्ज नही किया हैं तथा उक्त इन्तकाल को विगत 25 वर्ष हो चुके है इस कारण वाद प्रार्थना पत्र समय अवधि के बहार होने से खारीज होने योग्य है।

5– यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दुर्भावना पूर्वक पेश किया है जिस पर प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। न ही उक्त आराजी पर कब्जा है न ही काबिज काश्त है प्रतिपक्षी न० 1 लगायत 5 खातेदार हैं इस कारण प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

6– यह कि प्रतिपक्षी न० 1 लगायत 5 राजस्व रिकार्ड मे रिकोर्डेड खातेदार है। तथा उक्त आराजी पर काबिज होने से रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट को सब्बय खारीज फरमाया जावे व हर्ज खर्चे प्रार्थीगण से दिलवाया जावे

प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के प्रावधानानुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओ का परीक्षण किया जाना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है।
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है।

प्रथम दृष्ट्या मामला – किसी न्यायिक राजस्व प्रकरण को देखते ही अर्थात (पहली नजर में) यदि ऐसा प्रतीत हो कि प्रार्थी भी विवादित आराजी में संभावित हकदार हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण को देखने पर हम पाते है कि वर्तमान में विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है ना ही प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे प्रकरण को प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जा सकता है।

सुविधा का सन्तुलन – किसी विवादित आराजी पर कब्जा होने के आधार पर सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में कहा जा सकता है। वैसे भी काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अनुसार कब्जे के अभाव में, जब तक विवादित आराजी स्वयं की संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज नहीं हो तो उस आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी अप्रार्थीगण 1 ता 5 के खाते दर्ज है तथा कब्जा भी अप्रार्थीगण 1 ता 5 का ही होना प्रतीत होता है अतः विवादित आराजी प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षति होना – किसी विवादित आराजी पर किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं किये जाने अन्य पक्ष द्वारा उस आराजी को खुर्द बुर्द कर देने की संभावना होने तथा इस प्रकार खुर्द बुर्द किये जाने से होने वाली क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं हो तो इसे प्रार्थी की अपूरणीय क्षति कहा जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी में नहीं है। प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकार चाहे गये है किन्तु इस संबंध में कोई भी पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने तथा विवादित आराजी प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज नहीं होने व आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होने व कभी कब्जा नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)